राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1364/2023

कैला कुमार पालीवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. प्रधानाचार्य एवं आहरण वितरण अधिकारी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रागपुरा, ब्लॉक रैणी, जिला अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.05.2023
आदेश की दिनांक : 07.11.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : स्वयं अपीलार्थी
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रागपुरा, ब्लॉक रैणी, जिला अलवर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध एफआईआर संख्या 244/2021 पुलिस थाना, बांदीकुई में दर्ज की गई, जिसके क्रम में सीजेएम न्यायालय में मुकदमा संख्या 712/2022 प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी दिनांक 21.05.2022 से 07.06.2022 तक न्यायिक हिरासत में रहा और दिनांक 24.06.2022 को ग्रीष्म अवकाश समाप्त होने पर विद्यालय कार्यालय खुलने के प्रथम कार्य दिवस को ही अपीलार्थी ने न्यायिक अभिरक्षा में रहने की सूचना प्रधानाचार्य को दी और अपीलार्थी ने अपनी ड्यूटी ज्वाईन कर सेवायें पूर्ववत प्रारंभ कर दी तथा अपीलार्थी का माह मई एवं जून, 2022 का वेतन भी आहरित कर भुगतान किया गया। परंतु

बिना किसी नियम एवं आधार के अपीलार्थी का माह जुलाई, 2022 से वेतन भुगतान रोक दिया गया, जिसकी सूचना अपीलार्थी ने दिनांक 03.09.2022 को कार्यालय ई–मेल आईडी पर एवं व्यक्तिगत रूप से दी, परंतु वेतन का भुगतान नहीं किया गया और पत्र दिनांक 10.11.2022 के द्वारा अपीलार्थी को न्यायिक हिरासत में रहने की अवधि के वेतन की राशि जमा करने का नोटिस दिया गया, जो अपीलार्थी ने जमा नहीं कराये। अपीलार्थी को कुल 3 महिने का वेतन ट्रेजरी वाउचर दिनांक 15.12.2022 के द्वारा आहरित कर भुगतान किया गया, परंतु माह जुलाई तथा अक्टूबर, 2022 का वेतन बिना कोई कारण के रोक दिया गया और वाउचर दिनांक 24.03.2023 के द्वारा अपीलार्थी के केवल जुलाई के वेतन का आहरण कर उसमें से अपीलार्थी के दिनांक 21.05.2022 से 07.06.2022 तक कुल 18 दिवस की न्यायिक हिरासत में रहने की अवधि के वेतन की राशि रूपये 53,971/– की आरओपी कर बिना किसी आधार के वसूली कर शेष राशि अपीलार्थी को भुगतान की गई। जबकि माननीय न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलो में निर्णीत आदेशों में वसूली किया जाना उचित नहीं माना है और इस प्रकार अपीलार्थी को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाकर शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक संताप देने का कृत्य कारित किया है और बेवजह मानसिक संताप से अपीलार्थी को गुजरना पड रहा है। अतः आर्थिक हानि पेटे रूपये 1,00,000/– एवं उस पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर न्यायिक अभिरक्षा में रहने की अवधि का वेतन रूपये 53,971/– की कटौती निरस्त कर उक्त राशि का 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के न्यायिक अभिरक्षा में जाने की दिनांक 21.05.2022 को विद्यालय में ग्रीष्मावकाश चल रहा था, परंतु विद्यालय का कार्यालय ग्रीष्मावकाश की अवधि में भी प्रत्येक कार्य दिवस को खुला रहता है और अपीलार्थी न्यायिक अभिरक्षा से जमानत पर दिनांक 07.06.2022 को रिहा होते ही इसकी सूचना कार्यालय अध्यक्ष को देते, परंतु अपीलार्थी द्वारा ऐसा नहीं करते हुये ग्रीष्मावकाश समाप्ति उपरांत प्रथम कार्य दिवस दिनांक 24.06.2022 को उपस्थित होकर बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति प्राप्त किये विद्यालय उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर अंकित कर दिये, जो गलत है। अपीलार्थी को न्यायिक हिरासत में रहने की अवधि के वेतन को पुनः जमा कराने हेतु नोटिस भी जारी किया गया, परंतु

अपीलार्थी द्वारा राशि जमा नहीं की गई, जिसके कारण वेतन की राशि आरओपी कर रोकी गई। अपीलार्थी के प्रकरण में अंतिम निर्णय अध्ययधीन है और इस प्रकार अपीलार्थी कोई अनुतोष पाने का हकदार नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन व्याख्याता के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रागपुरा, ब्लॉक रैणी, जिला अलवर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विरूद्ध एफआईआर संख्या 244/2021 पुलिस थाना, बांदीकुई में दर्ज की गई, जिसके क्रम में सीजेएम न्यायालय में मुकदमा संख्या 712/2022 प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी दिनांक 21.05.2022 से 07.06.2022 तक न्यायिक हिरासत में रहा और दिनांक 24.06.2022 को ग्रीष्म अवकाश समाप्त होने पर विद्यालय कार्यालय खुलने के प्रथम कार्य दिवस को ही अपीलार्थी ने न्यायिक अभिरक्षा में रहने की सूचना प्रधानाचार्य को दी और अपीलार्थी ने अपनी ड्यूटी ज्वाईन कर सेवायें पूर्ववत प्रारंभ कर दी तथा अपीलार्थी का माह मई एवं जून, 2022 का वेतन भी आहरित कर भुगतान किया गया। परंतु बिना किसी नियम के कुल 18 दिवस की न्यायिक हिरासत में रहने की अवधि के वेतन की राशि रूपये 53,971/– की आरओपी कर बिना किसी आधार के वसूली कर शेष राशि अपीलार्थी को भुगतान की गई। जहां तक अपीलार्थी को 18 दिवस की न्यायिक हिरासत में रहने की अवधि का वेतन का भुगतान नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी 18 दिवस तक न्यायिक हिरासत में रहा, जिसके कारण उक्त अवधि के वेतन की आरओपी कर राशि रोकी गई है। परंतु हम प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य